<u>न्यायालयः— मयंक मोदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम, (म.प्र.)</u>

क्रमांक........./24 रतलाम, दिनांक 06.04.2024

<u>रिमांड ड्यूटी आदेश</u>

इस आदे ा द्वारा माह **<u>अप्रैल—2024</u>** के अवका ा के दिनों में रिमाण्ड एवं आव यक आपराधिक कार्य सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी रतलाम/जावरा/सैलाना/आलोट को उनके नाम के समक्ष दर्ि ात तिथियों के लिये अधिकृत किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न दर्ि ात तिथियों को दोपहर 3:00 बजे से कार्य समाप्ति तक रिमाण्ड एवं आव यक आपराधिक कार्य (न्यायिक) सम्पन्न करेंगेः—

<u>रतलामः—</u>

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	अवका ा की तिथियॉ
1	श्री अनुपम तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	14
2	सुश्री कृतिका सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	7
3	सुश्री सपना कनौदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	17
4	श्रीमती मुग्धा कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	21
5	सुश्री आकांक्षा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	11
6	श्री अतुल श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	28
7	सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	9

<u>जावराः—</u>

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	अवका ा की तिथियॉ
1	श्री अरविंद कुमार बरला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	9
2	श्री एन.एस. ताहेड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	28
3	श्रीमती हर्षिता पिपरेवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	11
4	श्री रिचा भुजंग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	21
5	श्री दीपक कनेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	7
6	श्री अंकित भुजंग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	14, 17

<u>सैलानाः—</u>

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	अवका ा की तिथियॉ
1	श्री राहुल यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	14, 17
2	श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	7, 9, 11
3	श्री एकाग्र चतुर्वेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	21, 28

आलोटः—

क्र	नाम अधिकारी एवं पद	अवका । की तिथियॉ
1	श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	17
2	कु. मधुबाला सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	7, 9
3	श्री गवेन्द्र सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	21, 28
4	श्रीमती समीक्षा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	11, 14

किसी आकस्मिक परिस्थितियों में निम्न आवश्यक नोट अनुसार रिमांड ड्यूटी संपादित की जावेः—

1— उक्त भाासकीय अवका । के अतिरिक्त किसी अन्य कारणव । इस माह कोई अवका । घोशित होता है तो जिला न्यायालय, रतलाम में श्री अतुल श्रीवास्तव व इनकी अनुपस्थिति में सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेगें। इसी प्रकार तहसील जावरा में श्री दीपक कनेरिया व इनकी अनुपस्थिति में श्री अंकित भुजंग आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेगें। इसी प्रकार तहसील न्यायालय आलोट में श्री गवेन्द्र सिसोदिया व इनकी अनुपस्थिति में श्रीमती समीक्षा सिंह आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेगें। इसी प्रकार तहसील न्यायालय सैलाना में श्री अभिषेक सोनी व इनकी अनुपस्थिति में श्री एकाग्र चतुर्वेदी आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेगें।

2— रिमाण्ड ड्यूटी नियत होने वाले किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण होने की द ाा में उस स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट आव यक न्यायिक कार्य सम्पन्न करेंगे। यदि नवीन मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तब नियत रिमाण्ड ड्यूटी मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा संपादित की जायेगी।

3— किशोर/बाल अपचारी के संबंध में रिमाण्ड हेतु आदेश किशोर न्याय बोर्ड, रतलाम के द्वारा प्रदान दिया जावेगा।

4— रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के कर्मचारीगण भी अपने—अपने कर्तव्य पद पर उपस्थित रहेगें।

5— यदि किसी अपरिहार्य एवं युक्तियुक्त एवं सद्भाविक कारण से कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त दर्ि ात तिथियों को आव यक न्यायालयीन कार्य सम्पन्न करने में असमर्थ रहें तो वे अपने साथी न्यायिक मजिस्ट्रेट से उक्त दर्ि ात तिथि को न्यायालयीन कार्य सम्पादन करने हेतु **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम से पूर्व अनुमति लेने के उपरांत और लिखित सहमति प्राप्त कर संपादित करेंगे।** ऐसी स्थिति में लिखित सहमति देने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का दायित्व रहेगा कि वह इस तरह आपसी समायोजन से नियत दिनॉक को न्यायिक कार्य सम्पन्न करेंगें, ऐसे समायोजन अनुसार अवका । के दिन आकस्मिक रिमाण्ड एवं आव यक न्यायिक कार्य सम्पादन करने के लिए अधिकृत माने जावेगें।

6— यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कंडिका क्रं. 1 में दर्शित सहमति प्राप्त करने से अन्यथा (जैसे आकस्मिक रूप से स्वास्थ्य खराब होने/मेडिकल या अन्य कारणों से मुख्यालय से बाहर रहने/क्वारेंटाइन रहने) अपरिहार्य कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थता दर्शित की जाती है, तो संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके चार्ज भारित न्यायालय को सूचना दिये जाने पर रिमांड ड्यूटी करने हेतु अनुपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के इंचार्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उक्त रिमाण्ड ड्यूटी का संपादन किया जावेगा।

(मंयक मोदी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम

पृ. क्रमांक–   /24   रतलाम, दिनांक–06.04.2024

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधी   I महोदय, रतलाम की ओर सूचनार्थ प्रेशित।
2. नजारत प्रभारी, रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3.. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण, रतलाम/सैलाना/आलोट/जावरा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेशित।
4. अध्यक्ष अभिभाशक संघ रतलाम/सैलाना/आलोट/जावरा की ओर सूचनार्थ प्रेशित।
5. जिला अभियोजन अधिकारी, रतलाम/सैलाना/आलोट/जावरा की ओर सूचनार्थ प्रेशित।

(मंयक मोदी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रतलाम,(म.प्र.)